न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 1266–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 328/2013–14/अपील

....

1–कमला शर्मा पत्नी श्री सोमनाथ उर्फ सोनी शर्मा
2–श्रीमती निशा शर्मा पत्नी स्व0चेतन शर्मा
3–अक्षय नाबलिग पुत्रगण चेतन शर्मा
4–अनमोल सरपरस्त माँ निशा शर्मा
5–शिवकुमार पुत्रगण सोमनाथ शर्मा
6–घनश्याम शर्मा
समस्त निवासीगण लाल टिपारा तहसील व
जिला ग्वालियर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सुखदेव पुत्रगण स्व0रामप्रकाश
2–मनोहरलाल
3–शारदा देवी पुत्री स्व.रामप्रकाश
निवासी ग्राम कहलमा पोस्ट सिदमादौन
जिला कपूरथला पंजाब

.... अनावेदकगण

....

श्री आर.सी.श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 06/01/2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959(जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक कमला शर्मा आदि ने श्रीमती रक्षादेवी पुत्री फकीरचन्द द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर मौजा मुरार स्थित भूमि सर्वे कमांक 519, 529 तथा 532 कुल किता 3 कुल रकबा 3.899 हे0 के 1/2 भाग पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की। तहसील न्यायालय में अनावेदक सुखदेव लाल की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित होना बतलाया। अपर तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 16–05–12 द्वारा वसीयत अनुप्रमाणाक साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणित होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर आवेदक कमला शर्मा आदि के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–9–12 द्वारा खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयतपत्र के साक्षीगण द्वारा दस्तावेज की पुष्टि की गई है और मूल वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न है। वसीयत को बिना किसी प्रमाण के फर्जी या कूटरचित होना नहीं माना जा सकता। अनावेदकगण सुखदेवलाल आदि द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 08–05–2015 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं और अनावेदकगण के पक्ष में वैध उत्तराधिकारी होने से नामान्तरण के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयत को वसीयतनामें के दोनों गबाहों की साक्ष्य से असंदिग्ध सिद्ध किया गया है। विचारण तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित होना माना है, किन्तु द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्ष अभिलेख सम्मत होने के बावजूद तकनीकी आधार पर द्वितीय अपील स्वीकार की गयी है। उनका तर्क है कि पारिवारिक परिस्थितियों के

कारण नामान्तरण आवेदन 10 वर्ष तक प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि फकीरचन्द की मृत्यु दिनांक 29–07–1990 को हुई, इस कारण रक्षादेवी एवं सोमनाथ को प्रश्नाधीन भूमि पर फकीरचन्द की मृत्यु के बाद स्वत्व अर्जित हो गये थे। फकीरचन्द का प्रश्नाधीन भूमि पर अभिलेख में नाम वर्ष 1990–91 से 1993–94 तक होने के आधार पर वसीयतकर्त्ता को वसीयत करने की अधिकारिता नहीं होना व वसीयत संदिग्ध होना नहीं माना जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र में ग्राम का नाम कहलवान, दिवानी प्रकरण में सुखदेव ने 5–2–14 को दिये शपथपत्र में ग्राम का नाम कारंवा बताया है, इसलिये वसीयत में ग्राम का नाम काडमा अंकित होने से उसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अन्त में उनका तर्क है कि तहसील न्यायालय ने विधिवत इश्तहार के प्रकाशन करने तथा आपत्तिकर्त्ता को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर देने के बाद नामान्तरण आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है। उनका तर्क है कि वर्ष 1991 में सम्पादित वसीयत के आधार पर 10 वर्षों तक नामान्तरण की मॉग नहीं करना वसीयत को स्वतः संदिग्ध बना देता है और इस संबंध में मान0 उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्त के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। उनका तर्क है कि वसीयत निष्पादन दिनांक को वसीयतकर्त्ता रक्षादेवी का प्रश्नाधीन भूमि पर नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं था, इसलिये उसे वसीयत करने की अधिकारिता नहीं थी। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकगण मृत रक्षादेवी के विधिक उत्तराधिकारी है और वसीयत में वैध उत्तराधिकारियों को उनके हक से वंचित करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। उनका अन्त में यह तर्क है कि वसीयत में ग्राम का नाम ही गलत अंकित है, इसलिये ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख से अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक सुखदेव आदि की ओर से वसीयत पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी है और

उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर देने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण प्रकरण का निराकरण किया गया है, इसलिये सुखदेव आदि को आवेदकगण कमला शर्मा द्वारा नामान्तरण आवेदन में पक्षकार नहीं बनाये जाने से उनके हित पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है इस कारण इस आधार पर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। वसीयतनामें के दोनों गबाहों सोबरनसिंह एवं अमरसिंह के कूटपरीक्षण अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया है तथा वसीयत को वसीयत के साक्षियों की साक्ष्य से असंदिग्ध सिद्ध होना विचारण तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय माना है। विद्वान अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत होने संबंधी निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के पश्चात नहीं निकाला है। ऐसी दशा में द्वितीय अपील में तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। 1987 रा.नि. 315, 1987 रा.नि. 216 तथा 167 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि दोनों राजस्व न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपील कोर्ट पर बाध्यकर हैं। राजस्व न्यायालय द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही संहिता की धारा 109 / 110 के अन्तर्गत स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात की जाती है और वसीयत को वसीयत के एक साक्षी के साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, इसलिये वसीयत के आधार पर अपर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बिना किसी पर्याप्त आधार के निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की है।

6 / श्रीमती रक्षा देवी पुत्री फकीर चंद द्वारा निष्पादित वसीयत का भी अवलोकन किया गया । वसीयतनामें में यह अंकित किया गया है कि 'वसीयतकर्त्ता का विवाह पंजाब में हुआ है। मैं पंजाब में निवास करती हूँ। मुझ वसीयतकर्त्ता को यह संपत्ति मेरे स्व0 पिता फकीरचन्द जी से उनकी मृत्यु होने के पश्चात प्राप्त हुई। वसीयत में यह भी उल्लेख है कि मेरी इस सम्पत्ति को मेरा भाई स्व0 पिता के समय से ही देखरेख व्यवस्था एवं खेती करता चला आ रहा है। मुझ वसीयतकर्त्ता का परिवार पंजाब में हर प्रकार से खुशहाल व सम्पन्न है। इससे स्पष्ट है कि वसीयतकर्त्ता रक्षादेवी को

प्रश्नाधीन भूमि उनके पिता से वारिस होने के कारण प्राप्त हुई थी तथा उसका विवाह पंजाब में हुआ था। वसीयतकर्त्ता व उसका परिवार पंजाब में खुशहाल व सम्पन्न होने से उसके द्वारा अपने पिता से प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत अपनी भाभी कमला शर्मा एवं भतीजेगण चेतन शर्मा आदि के पक्ष में की गयी है। रक्षादेवी की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी और आवेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर नामान्तरण में आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। राजस्व मण्डल ने इसी प्रकरण में अपने पूर्व आदेश दिनांक 07–05–2014 में 10 वर्ष बाद वसीयत प्रस्तुत करने संबंधी आपत्ति पर यह निष्कर्ष निकाला है कि समयसीमा के आधार पर वसीयतनामें को संदिग्ध नहीं माना जा सकता, इसलिये समयावधि के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध निष्कर्ष निकालने मे अपर आयुक्त द्वारा गलती की है। वसीयतकर्त्ता ने वसीयत में पिता से प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि अपनी भाभी एवं भतीजें को वसीयत करने का कारण वसीयतकर्त्ता का परिवार पंजाब में खुशहाल एवं सम्पन्न होना दर्शाया है। फकीरचन्द की मृत्यु के उपरान्त वसीयतकर्त्ता रक्षा देवी को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो चुके थे, इस कारण सिर्फ मृतक फकीरचन्द का प्रश्नाधीन भूमि पर 1994 तक राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने से वसीयत को अधिकार रहित होना नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में विद्वान अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बिना पर्याप्त आधार के निरस्त करने में त्रुटि की गयी है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 08–05–2015 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–09–2012 तथा अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–05–2012 यथावत रखे जाते हैं।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर